न्यायालय :— माननीय राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

रे.स्क्र. प्र.क. 2316-II / 2015 रेस्टो.

साधू पुत्र रामप्यारे गुप्ता साकिन डीही सर्किल चाकघाट, तहसील त्यौथर जिला रीवा म.प्र.

——— आवेदक

एस.पी. चौकसे अभि. द्वारा आज दि. 13/08/15 को पेश

13-8-15

विरूद्ध

रामलखन पुत्र रामपियारे गुप्ता साकिन डीही, संर्किल चाकघाट तहसील त्यौथर जिला रीवा म.प्र.

——— अनावेदक

संहिता की धारा 35(3) के अधीन आवेदन पत्र वास्ते मूल प्रकरण को पुनः नम्बर पर लिये जाने बावत्

मान्यवर,

आवेदकगण की ओर से आवेदन पत्र निम्न प्रकार पेश है :—

1. यह कि, अधीनस्थ न्यायालय के आदेश के विरूद्ध माननीय न्यायालय के समक्ष एक निगरानी प्रस्तुत की है। उक्त निगरानी में प्र.कं. 349/2002 में पेशी दिनांक 27.03.2015 में नियत थी। आवेदक के अभिभाषक ग्वालियर से बाहर गये थे। जिसके लिये सहयोगी अभिभाषक श्री डी.एस चौहान को दूर भाष पर अवगत कराया कि मेरे प्रकरण श्रीमान के न्यायालय में नियत है। उन्हें अवगत करा देना कि नियत पेशी पर उपस्थित नहीं हो सकूंगा। फिर भी माननीय न्यायालय द्वारा उक्त प्रकरण को अभिभाषक की अनुपस्थिती मानकर संहिता की धारा 35(2) अदम पैरवी में निरस्त कर दिया गया है।

2. यह कि, प्रकरण को अनुपस्थिती के कारण अदम पैरवी में निरस्त कर दिया गया है। परन्तु अभिभाषक की त्रुटि नहीं मान सकते हैं क्यों कि, प्रकरण में आवेदक अभिभाषक द्वारा ग्वालियर से बाहर अचानक जाना पड़ा जिसकी सूचना माननीय न्यायालय को अपने साथी अभिभषक श्री डी.एस. चौहान के माध्यम से भिजबादी गई है। फिर भी मान. न्यायालय द्वारा उक्त प्रकरण को अभिभाषक की अनुपस्थित के कारण निरस्त करने में महान वैधानिक भूल की है। इसकी सूचना आवेदक को नही दी गई इस कारण उक्त आवदेन पत्र समय सीमा में होने से मूल प्रकरण पुन नं. पर लिया जाना न्योयचित होगा।

3. यह कि, आवेदक को बिना सुनवाई का अवसर प्रदान किए अभिभाषक की अनुपस्थिति के कारण प्रकरण अदम पेरवी में संहिता की धारा 35 (2) के अधीन निरस्त कर दिया गया है। इस कारण प्रकरण का निराकरण गुण दोषों पर पारित किया जाना उचित है।

4. यह कि, आलौच्य आदेश दिनांक 27.03.2015 की जानकारी सर्वप्रथम न्यायालय में अदम पैरवी में निरस्त करने की लिष्ट चस्पा करने पर ज्ञात हुआ। इस कारण आवेदन पत्र सदभाविक होने से ग्राहय योग्य हैं।

अतः श्रीमान जी से विनम्र प्रार्थना है कि, प्रस्तुत आवेदन पत्र स्वीकार करते हुए अदम पैरवी में पारित आदेश दिनांक 27.03.2015 निरस्त करते हुए मूल प्रकरण को पुनः नम्बर पर लिया जाकरण प्रकरण का निराकरण गुण दोषों पर पारित करने की कृपा करें।

स्थान :— ग्वालियर

दिनांकः— 13-8-2015

आवेदक

साधू प्रासाद गुप्ता
द्वारा अभिभाषक

[illegible] 2616-II/15 [illegible]

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही अथवा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभावकों आदि के हस्ताक्षर
15-5-15	आवेदक अधिवक्ता की ओर से [illegible] [illegible] [illegible]। आवेदक [illegible] [illegible]। पत्रावली [illegible]। [signature]	
5-10-18	पत्रावली पेश। [illegible] आवेदक [illegible] [illegible] [illegible]। अनुपस्थित [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] पत्रावली A 349-II/02 [illegible] किया जाता है। [illegible] आवेदक [illegible] किया जाता है। पत्रावली दाखिल दफ्तर हो। [signature]	